Have You Made Full Use of the OCR Feature?

Make a scan, enhance it and save it. Are these all the features you know about CamScanner? If so, you have missed too many cool experiences. CamScanner offers you lots of features rather than scanning. What we are sharing today is the OCR(Optical Character Recognition) feature.

What can you do with OCR feature?

1. Searching

What can you do if you want to search for a document but just can't remember the names of some docs? Use this feature to recognize all the texts on your scans. Next time you just need to enter some key words in the search box and all the documents within the words will be found.

2. Text extraction

Just purchase the one-time paid version and you can enjoy the text extraction for lifetime! Ever want to edit some texts on a paper document or a PDF file? Import it into CamScanner and all texts can be extracted as .txt file after OCR!

Why wait? Follow the steps to start using OCR!

1. Sign in to CamScanner to sync all your docs -> All texts will be auto recognized after syncing.
2. If you don't want to sign in, you can open one single page of any doc-> Tap the Recognize button -> All recognized texts will be shown in a dialog box-> Tap Share to export the texts.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

ओ३म्

विक्रय दस्तावेज :- बैनामा ।
बैनामा :- 1,00,320/- रुपया।
मालियत :- 1,01,000/- रुपया।
स्टाम्प शुल्क :- 0,10,100/- रुपया।
सर्किल रेट :- 12,00,000/- रुपया प्रति हैक्टेयर ।

विवरण विक्रीत आराजी:- एक किता आराजी वाके मौजा मलपुरा तहसील व जिला आगरा की खतौनी खाता संख्या 333 खसरा नंबर 440 रकबा 0.0836 है. लगान 2.05 पैसा सालाना काबिल काश्त जिस पर कोई मौजूदा [illegible] होती है और कृषि भूमि है आराजी मज्कूर के 200 मीटर तक कृषि भूमि है और खेती होती है।

इस रीति श्रीराम पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी ग्राम [illegible] तहसील व जिला आगरा विक्रेता प्रथम पक्ष,

एवं

ध्रुव वशिष्ठ पुत्र स्व0 श्री चन्दन सिंह शर्मा निवासी 57, आफिसर कालोनी बैंक रोड आगरा ---- श्रीराम ---- क्रेता द्वितीय पक्ष ।

13080
8/9/03

B.K. Sharma
S.R.

100320 -
1/1000 -

2020 - 20 - 2040

5 SEP 2003

100320 -

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

/2/

घोषित हो कि उपरोक्त आराजी भूमिधर मजकूर का फरीक अव्वल व होने इन्द्राज कागजात माल सरकारी के तनहा संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दाखिल व दखील चला आता है सिवाये फरीक अव्वल के दीगर हकदार व हिस्सेदार कोई नहीं जिस पर आराजी मजकूर में नहीं है कि वो माने किसी प्रकार के इन्तकाल बैनामा का होवे आराजी मजकूर आज तक हर प्रकार के बार व भार व जिम्मेदारी से कतई पाक व साफ है कहीं पर रहन व बै व हिबा व बै जमानत व बै कुर्की व मकफूल व कुर्क नीलाम आदि आदि नहीं है और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से तहरीरी व जबानी इकरार नामा [illegible] किया है बल्कि हर प्रकार से पाक व साफ है। आराजी मजकूर [illegible] एवं [illegible] भी [illegible] का [illegible] नहीं है और ना ही अधिग्रहण किया गया है ना ही अधिग्रहण होने का कोई मुआवजा सरकारी विभाग द्वारा प्राप्त किया है अगर [illegible] साबित हो तो फरीक अव्वल [illegible] कानूनी का जिम्मेदार होगा। आराजी मजकूर को हालात [illegible] फरीक अव्वल व मिलने कीमत मजकूर के बैनामा स्वीकार है खरीददार फरीक दोयम कीमत मजकूर दे रहा है जिसमें फरीक अव्वल का फायदा है अतः खूब सोच व समझ कर पूर्ण स्वेच्छा तथा होशहवास के साथ ना बहकाये सिखाये किसी व्यक्ति के बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दबाव नाजायज के आराजी भूमिधर मजकूर को मय अपना हक व हकूक व [illegible] आराजी के सिलसिले मुबलिग 100320/- एक लाख तीन सौ बीस रुपया कि आधी जिसके मुबलिग 50,160/- पचास हजार एक सौ साठ - रूपया होते है मैं [illegible] पुत्र [illegible] सिंह वर्मा फरीक दोयम के हक बेचकर [illegible] और बेच दी। कीमत का कुल रुपया फरीक अव्वल ने फरीक दोयम से मुबलिग -

पचास रुपये

५०रु. भारत INDIA 50RS

FIFTY RUPEES

/3/

1,00,320/- एक लाख तीन सौ बीस रुपया बजरिये चैक नं० 458879 दिनांक 09सितम्बर सन 2005 ई० ओरियन्टल बैन्क ऑफ कामर्स [illegible] शाखा [illegible] राजपुर बैनामा हाजा [illegible] [illegible] रजिस्ट्रार [illegible] प्राप्त करना तय पाया । अतः कब्जा व दखल आराजी मुबैया मजकूर पर क्रेता का करा दिया व मालिक मुस्तकिल बना दिया अब क्रेता को अधिकार है कि वह आराजी मुबैया मजकूर से चाहे जैसे लाभान्वित होवे व फायदा उठावे [illegible] अपना [illegible] [illegible] रहन व बैय व हिबा आदि जो चाहे सो करे कुछ उज्र न होगा। बाद [illegible] बैनामा हाजा क्रेता अपने नाम का दाखिल खारिज [illegible] [illegible] बैनामा हाजा [illegible] मालिक [illegible] [illegible] विक्रेता अपनी रजामन्दी दे देगा व रजामन्दी देने का पाबन्द रहेगा बाद तकमील बैनामा हाजा विक्रेता का कोई [illegible] या [illegible] वारिसान या दीगर [illegible] किसी प्रकार का [illegible] पैदा हो कर आराजी मुबैया मजकूर में अपना हक व हिस्सा जाहिर व [illegible] करे या खरीदार क्रेता से [illegible] या दावा करे किसी वजह से या दीगर वजह से आराजी मुबैया मजकूर का कुल या कुछ हिस्सा खरीदार के अधिकार व कब्जा से निकल जावे या किसी को कुछ रुपया अदा या खर्च करना पड़े तो उन कुल की [illegible] देही व जिम्मेदारी [illegible] अदायगी [illegible] विक्रेता [illegible] व वारिसान विक्रेता [illegible] की होगी। ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह हक हासिल होगा कि वह अपना तमाम [illegible] कुल रुपया [illegible] खर्चा व हर्जा के विक्रेता व वारिसान विक्रेता [illegible] की [illegible] व जायदाद [illegible] [illegible] से [illegible] वसूल कर ले कुछ उज्र न होगा । क्रेता व विक्रेता [illegible] व [illegible] के [illegible] [illegible] है बैनामा के साथ क्रेता व विक्रेता के दो-दो फोटो लगा है। नोट :- [illegible] हाजा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] व [illegible]

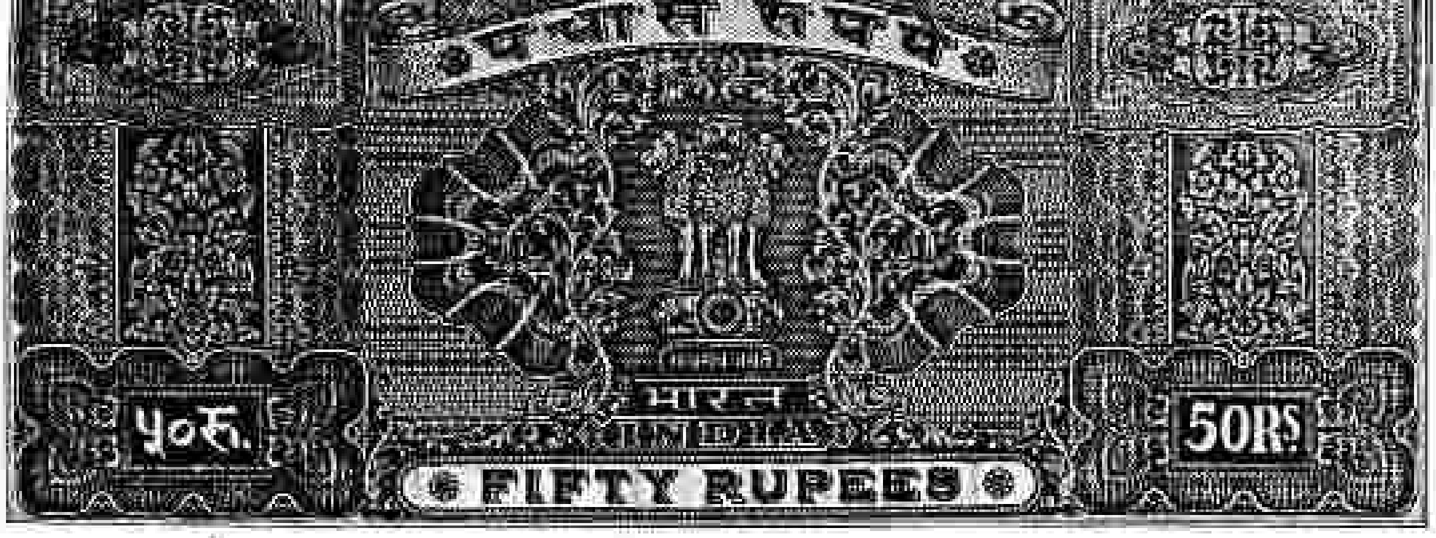

के बीच की जवाब दावा से करते है जो स्वीकार है।

लिहाजा याद सुनने व समझने मजमून के यह फैसला लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 08 सितम्बर सन 2003 ई० बमरोदा ब्रज किशोर शर्मा वकील नवीन अयोध्या कुन्ज ए-आगरा दायर बाई निरंजन शर्मा कपूर बाग केसर बाई मण्डी बाहर आगरा बहक्वार फरीकेन के दस्तखत किया गया।

गवाह – अशोक कुमार S/o श्री [illegible] निवासी – 307 [illegible] सिकन्दरा (आगरा)

2— पप्पू S/o [illegible] निवासी [illegible] (आगरा)

3— प्रीति सिंह S/o श्री फूलसिंह निवासी – सुनारी सिकन्दरा (आगरा)

13083
8/9/03

13080 —

आज दिनांक 8/9/2003 बही सं. I

जिल्द संख्या 2860 281390

पर क्रमांक 4979 पर रजिस्ट्रीकृत की गई

आराजी खाता संख्या 333 खसरा नं· 440
वाके मौजा मगटई तह व जिला आगरा
विक्रेता :- श्री राम पुत्र नरायन सिंह

क्रेता :- ध्रुव वशिष्ठ पुत्र स्व· चन्दन सिंह शर्मा

नक्शे में रंग लाल से दिखाया है
रकबा - 0·0836 हैक्टेयर

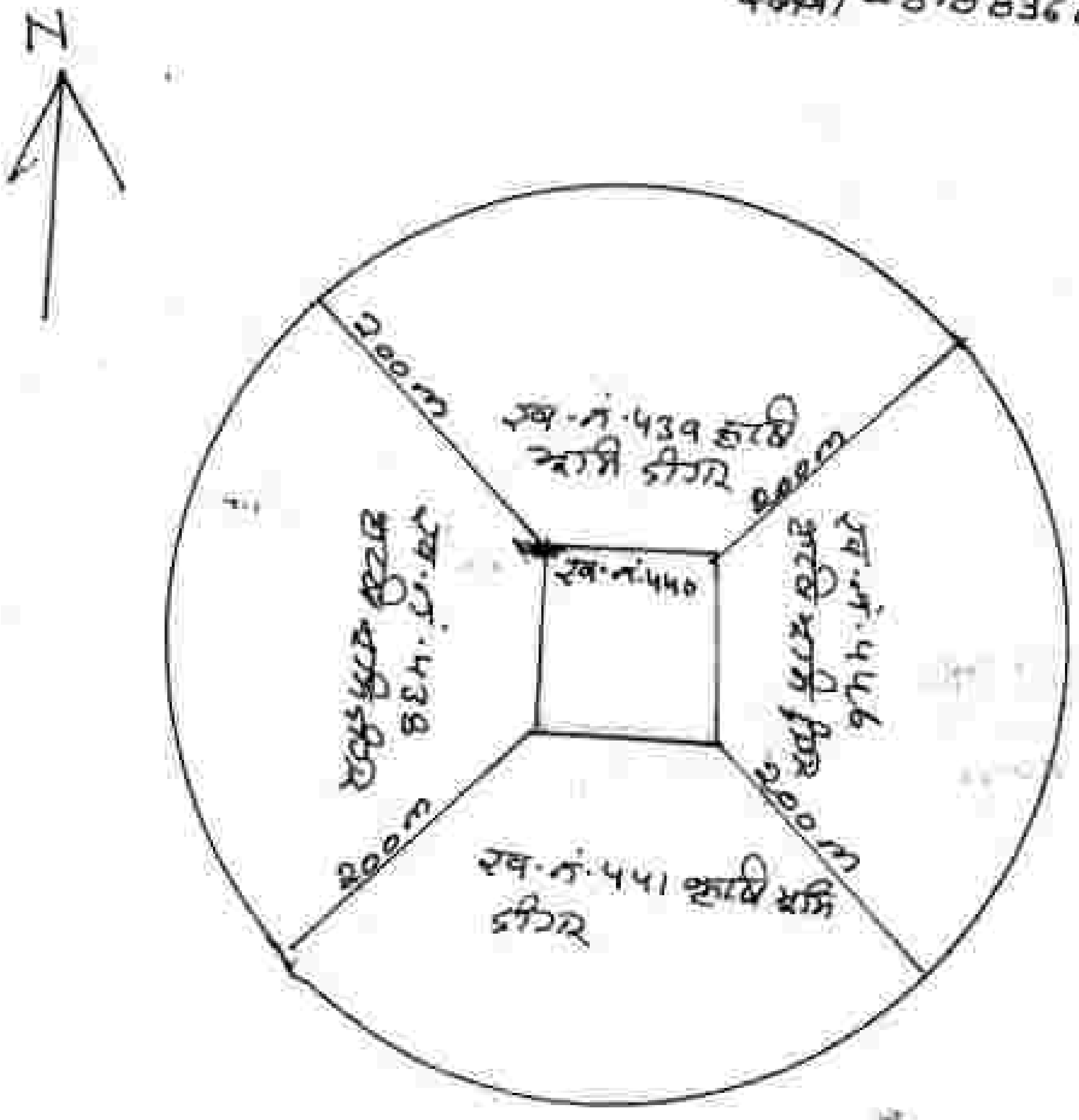

श्रीराम

4978

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

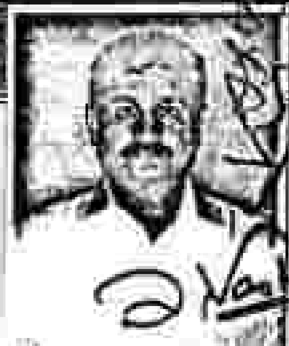

ओ३म्

किस्म दस्तावेज	:- बैनामा।
[illegible]	:- 1,00,320/- रुपया।
[illegible]	:- 1,01,000/- रुपया।
स्टाम्प शुल्क	:- 0,10,100/- रुपया।
[illegible]	:- 12,00,000/- रुपया [illegible]

3264
5/9/03

57

100320
101000

62/58

100320

301

1000Rs.

/2/

विवरण विक्रीत आराजी :- एक किता आराजी वाके मौजा बमरौलीकटारा तहसील
जिला आगरा की खाता नंबर 216 खसरा
नंबर 441 रकबा 0.0836 है. लगानी 2.05 पैसे
सालाना कदीम वाला जिस पर कब्जा मौजूद
में बोता जोता है और कृषि भूमि है आराजी
मजकूर में 200 मीटर तक कृषि भूमि है और
जोता बोता है।

/3/

कुन रेक मनोज [illegible] नाबालिग उम्र करीब 16 साल व गोपाल नाबालिग उम्र करीब 12 साल व ओम प्रकाश नाबालिग उम्र करीब 10 साल पुत्रगण सुरेश चन्द संरक्षिका कुदरती माता श्रीमती [illegible] पत्नी श्री सुरेश चन्द निवासीगण ग्राम बिचपुरी तहसील व जिला आगरा के हैं---------- फरीक अव्वल विक्रेता ,

व

मुन्ना [illegible] पुत्र स्व0 श्री [illegible] सिंह शर्मा निवासी 57 [illegible] कालोनी बैंक रोड आगरा ---------------------- फरीक दोयम क्रेता ।

विदित हो कि उपरोक्त आराजी के फरीक अव्वल नाबालिगान व होने इन्द्राज कागजात माल सरकार, [illegible] खातेदार [illegible] चली आती है जिसके फरीक अव्वल नाबालिगान के [illegible] इन्द्राज व हिस्सेदार और किसी किस्म का साझीदार मन्सूब में नहीं है कि जो उनसे किसी प्रकार के [illegible] का होने आराजी मजकूर आज तक हर प्रकार के भार व भार व [illegible] से कोई पाक व साफ है कहीं पर रहन व बैंक व हिबा व बैय [illegible] व [illegible] व कुर्क व नीलाम आदि आदि नहीं है और न ही किसी [illegible] के तहरीरी व जुबानी [illegible] प्राप्त किया है वरन हर प्रकार से पाक व साफ है अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर हो तो फरीक अव्वल विक्रेता [illegible]

/W/

के जिम्मेदार होंगे। आराजी मजकूर मजूर एवं किसी भी राजकीय संस्थान बीसम्पत्ति नहीं है और ना ही अधिग्रहण किया गया है और ना ही अधिग्रहण होने का कोई मुआवजा सीलिंग विभाग द्वारा प्राप्त किया है। आराजी मजकूर के विक्रय के अधिकार क्रेता उक्त फिरोज जो सैद्धांतिक कुदरती संरक्षण के शामिल है अतः आराजी मजकूर को बाकी क्रमश परचारित नाथा लगान मजकूरेन के विक्रय करना मन्जूर है खरीददार दीवाना मालूम है वह है जिन्हें क्रेता उक्त का मतलब मालूम है अतः खूब सोच व समझ कर पूर्ण स्वेच्छा तथा होशहवास के साथ मा बारे बिचे बिना नशीली वस्तु के सेवन किये व लिखवाने व पढ़वा लिया इसाम मामलाय के आराजी मजकूर को मय कुल हक व हकूक व पाथियों व बारिशी के बदले 1,00320/- एक लाख तीन सौ बीस रुपया जिसका आधा 50,160/- पचास हजार एक सौ साठ रुपया होते है मैं बहैसियत दिनांक ... क्रेता ... ने के चैक दिया और चैक दिया। क्रेता उक्त फिरोज ने क्रेता ने चैक नम्बर 458879, दिनांक 08 दिसम्बर सन 2003 ई० रुपये 1,00320/- एक लाख तीन सौ बीस रुपया ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा ... आगरा ... ने अदा कर दिया है। ... मजकूर पर खरीददार क्रेता ... का कब्जा ... दिया अब -

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

INDIA NON JUDICIAL

२000रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रूपये   ONE THOUSAND RUPEES

151

क्रेता दोयम क्रेता को अधिकार है कि वह आराजी उपरोक्त मजकूर से चाहे जैसे इस्तेमाल करे व फायदा उठावे स्वयं काश्त करे या करावे रेहन व बैय व हिबा आदि जो चाहे सो करे कोई उज्र न होगा। बाद तकमील बैनामा हाजा क्रेता दोयम क्रेता अपने नाम का दाखिल खारिज सम्बन्धित कागजात में करा लेवे बैनामा हाजा बहैसियत मालिक दर्ज कराने में क्रेता अव्वल अपनी रजामन्दी देते रहेंगे व रजामन्दी देने के पाबन्द रहेंगे। बाद तकमील बैनामा हाजा क्रेता अव्वल का कोई वारिस या कायममुकाम वारिसान या दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का मिल्कियत का दावा पैदा करे या आराजी मजकूर में अपना हक व हिस्सा जाहिर व साबित करे या खरीदार क्रेता दोयम से कब्जा या दखल करे [illegible] या दीगर वजह से आराजी उपरोक्त मजकूर का कुल या जुज हिस्सा क्रेता दोयम के अधिकार व कब्जा से निकल जाये या किसी को कुछ रुपया अदा या खर्च करना पड़े तो उन कुल की जिम्मेदारी व जिम्मेदारी मय अदायगी जर समन के क्रेता अव्वल व वारिसान क्रेता अव्वल की होगी। ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता क्रेता दोयम को यह हक हासिल होगा कि वह अपनी रकम का कुल रुपया मय सूद हर्जा व खर्चा के क्रेता अव्वल व वारिसान क्रेता अव्वल की जात खास व जायदाद [illegible] से वसूल कर ले जिसमें कोई उज्र न होगा। क्रेता व विक्रेता [illegible] जाति व जनजाति के व्यक्ति नहीं हैं [illegible] क्रेता व विक्रेता के दोनों [illegible] नोट :- [illegible]

[illegible] है जो स्वीकार है।

/6/

[illegible] बैनामा लिख दिया कि सनद

[illegible] 2003 ई० कातीब

रहे और वक्त पर काम आवे तहरीर तारीख 08 [illegible]

बृज किशोर शर्मा [illegible]

171

महाय खुर बाग मैार नाईमण्डी, आगरा बजरिए मुकिरान के हल्फ़ा किया गया

शीला

गवाह — पप्पू पु० श्री नन्हे खाँ निवासी - ...
जिला (आगरा)

गवाह — ज्योति सिंह पु० श्री फूल सिंह निवासी ...
हुनाली शिवपुरी (आगरा)

गवाह — अशोक कुमार पु० श्री हरि सिंह निवासी - 307
सेक्टर-9 सिकन्दरा आगरा

विजय चंद

सदर तहसील

8/9/2003

I

13860

13621380

3978

आराजी खाता संख्या 216 खसरा नं: 551

वाके मौजा मगटई तह व जिला आगरा

विक्रेता:- मनोज (नाबालिग) व गोपाल (नाबालिग) व ओमप्रका

- (नाबालिग) पुत्र गण सुरेश चन्द संरक्षिका कुदरती मात

श्रीमती शीला देवी पत्नी सुरेश चन्द

क्रेता:- ध्रुव वार्ष्णेय पुत्र स्व. चन्दन सिंह शर्मा

नक्शे में रंग लाल से दिखाया है

रकबा - 0.0836 हैक्टेयर

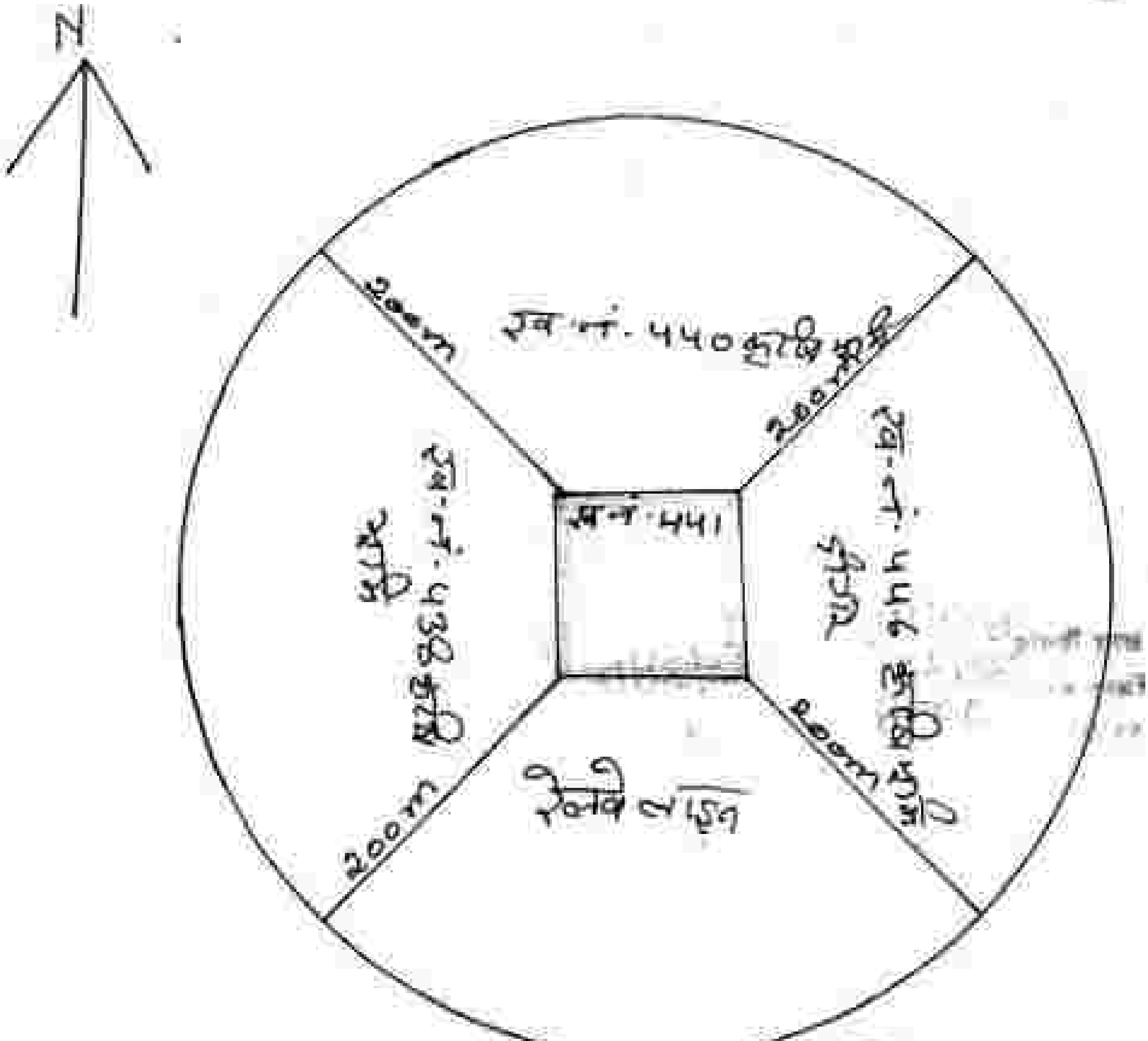

शीला

4980

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs5000

FIVE THOUSAND RUPEES

ओ३म्

लिखत प्रकार	:- बैनामा ।
बैनामा मालियत	:- 1,30,320/- रुपया
बा.मार्केट कीमत	:- 1,01,000/- रुपया
स्टाम्प शुल्क	:- 0,13,100/- रुपया
मार्केट रेट	:- 12,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर ।

विवरण सम्पत्ति आराजी:- एक किता आराजी वाके मौजा [illegible] तहसील व जिला आगरा की खसरा संख्या308 खतौनी खाता 439 रकबा 0.0636 है० लगान 2.05 पैसा सालाना [illegible] मौके पर [illegible] मौजूद में खेती होती है और कृषि भूमि [illegible] 200 मीटर तक कृषि भूमि है और खेती होती है।

मैं कि विजय सिंह पुत्र [illegible] सिंह निवासी ग्राम [illegible] तहसील व जिला आगरा [illegible] प्रथम पक्ष ,

एवं ।

श्रीमती [illegible] पुत्र स्व० श्री चन्दन सिंह शर्मा निवासी 57 [illegible] कालोनी बैंक रोड आगरा -------------- क्रेता द्वितीय पक्ष है ।

विदित हो कि उपरोक्त आराजी [illegible] का [illegible] व [illegible]

MUKESH KUMAR GOEL
STAMP VENDER
L.No. 49
Tehsil. AGRA

-2 AUG 2003

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

/2/

मलशहकारी के मन्दर सेवकनाथ भूमिधर मालिक काबिज मालिक व दखील चला आता है सिवाये फरीक अव्वल के दीगर इकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी किस्म का आराजी मजकूर में नहीं है कि जो माने किसी प्रकार के इन्तकाल वगैरा का होवे आराजी मजकूर आज तक हर प्रकार के बार व भार व जिम्मालत से बाकी पाक व साफ है कहीं पर रहन व बैय व हिबा व मेरे कायम व मेरे कुर्की व मकफूल व हुक्म नीलाम आदि आदि नहीं है और ना ही किसी दीगर मालिक से तहरीरी व जुबानी इकरार नामा आदि किया है वरन हर प्रकार से पाक व साफ है आराजी मजकूर मज़ा एवं किसी भी राजकीय संस्थान की सम्पत्ति नहीं है और ना ही अधिग्रहण किया गया है ना ही अधिग्रहण होने का कोई मुआवजा सीलिंग विभाग द्वारा प्राप्त किया है। अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर हो तो फरीक अव्वल जुमला मतालबे कानूनी का जिम्मेदार होगा। आराजी मजकूर को पाकर फरीक अव्वल व मिलने कीमत माकूल के बैयना स्वीकार है फरीक दोयम कीमत माकूल दे रहा है जिसमें फरीक अव्वल का सरासर फायदा है। अतः खूब सोच व समझ कर पूर्ण स्वेच्छा तथा येनकेन के साथ ना बाये जिये किसीनशादी वस्तु के बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दबाव नाजायज के आराजी भूमिधर मजकूर को मय जुमला हक व हकूक व दाखिली व खारिजी के मिलयत मुबलिग 1,00,320/- एक लाख तीन सौ बीस रुपया जो आधे जिसके मुबलिग 50,160/- पचास हजार एक सौ साठ रुपया होते है मैं पहला श्री पुत्र परिशिष्ट पुत्र श्री स्वरूप नन्दन सिंह शर्मा फरीक दोयम के बैय किये और बैय दिये। कीमत का कुल रुपया-

/3/

मुबलिग 1,00,320/- एक लाख तीन सौ बीस रुपया बजरिये चैक नम्बर 458880 दिनांक 08 सितम्बर सन 2003 ई0 ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स [illegible] शाखा आगरा बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा हाजा समक्ष श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहिब आगरा के फरीक अव्वल फरीक दोयम से प्राप्त करना तय पाया है। लिहाजा कब्जा व दखल आराजी मुबैया मजकूर पर फरीक दोयम क्रेता का करा दिया और मालिक मुस्तकिल बना दिया। अब फरीक दोयम क्रेता को अधिकार है कि वह आराजी मुबैया मजकूर से चाहे जैसे लाभान्वित होवे व फायदा उठावे स्वयं काश्त करे या दूसरा [illegible] रहन व बैय व हिबा आदि जो चाहे सो करे कुछ उज्र न होगा। बाद तकमील बैनामा हाजा फरीक दोयम क्रेता अपने नाम का दाखिल खारिज सम्बन्धित कागजात में बजरिये बैनामा हाजा बहैसियत मालिक दर्ज करा लें। फरीक अव्वल अपनी रजामन्दी दे चुका व रजामन्दी देने का पाबन्द रहेगा। बाद तकमील बैनामा हाजा कोई कौमी या खानदानी वारिसान या दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का जिम्मेदार बौहेसियत फरीक अव्वल का पैदा हो कर आराजी मुबैया मजकूर में अपना हक व हिस्सा जाहिर व साबित करे या क्रेता फरीक दोयम से झगड़ा या दावा करे किसी वजह से या दीगर वजह से आराजी मुबैया मजकूर का कुल या कुछ हिस्सा खरीदार फरीक दोयम के अधिकार व कब्जा से निकलवावे या किसी को कुछ रुपया अदा या खर्च करना पड़े तो उस कुल की जवाब देही व जिम्मेदारी मय अदायगी खर्च हर्जा फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल की होगी। ऐसी तमाम सूरतों में फरीक दोयम क्रेता को यह हक हासिल होगा कि वह अपनी तमाम कुल रुपया मय सूद हर्जा व खर्चा के फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल की जात खास व जायदाद मा व मनकूला हर किस्म की से चाहे जैसे वसूल कर लें कुछ उज्र न होगा। क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नहीं है बैनामा के साथ क्रेता व विक्रेता के दो-दो फोटो लगाया है।

विजयपालसिंह

ा बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के यह बैनामा लिख दिया कि सनद र
र काम आवे तहरीर तारीख 08 सितम्बर सन 2003 ई0 बमसौदा बृज कि
नवीस अयोध्या कुन्ज ए.आगरा टायप बाई निरंजन सहाय कपूर बाग केत
बइकरार मुक़िरान के टन्कण किया गया।

दिलीप सिंह

आज दिनांक 8/9/2003 को बही सं. I
जिल्द संख्या 3886 के पृष्ठ 391 से 400
पर क्रमांक 4980 रजिस्ट्रीकृत किया गया

उप निबन्धक द्वितीय आगरा

आराजी खाता संख्या 308 खसरा नं: 439
वाके मौजा मगटई तह व जिला आगरा
विक्रेता :- विजय सिंह पुत्र नरायन सिंह

क्रेता :- ध्रुव वशिष्ठ पुत्र स्व. चन्दन सिंह शर्मा
नक्शे में रंग लाल से दिखाया है।

रकबा - 0.0836 हेक्टेयर

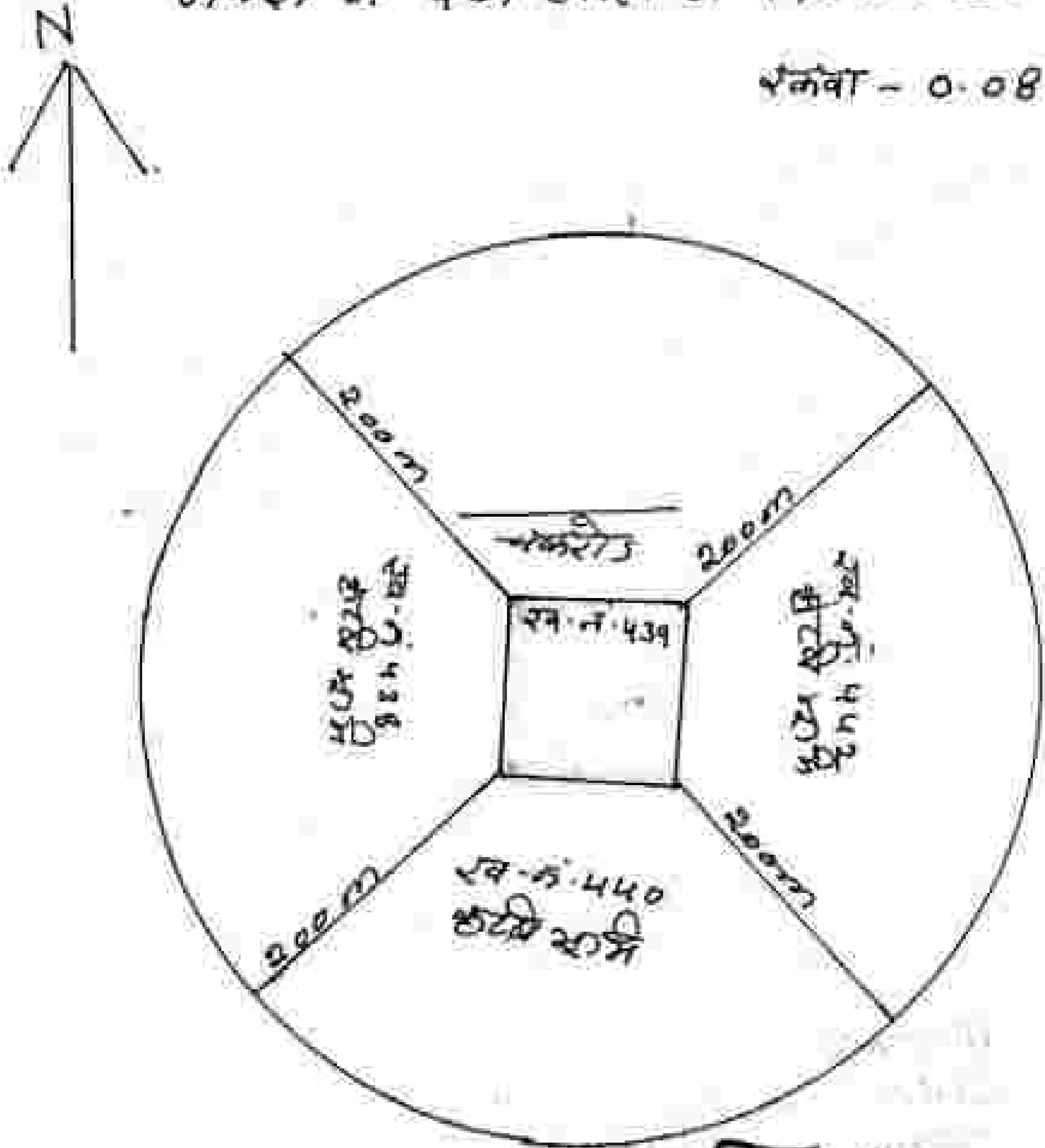

विजयसिंह

02CC 648635

मानसिंह

औसत

किस्म दस्तावेज	:- बैनामा ।
बैनामा तादादी	:- 3,01,200/- रुपया।
बाजारी कीमत	:- 3,02,000/- रुपया।
स्टाम्प शुल्क	:- 0,30,200/- रुपया।
सर्किल रेट	:- 12,00,000/- रुपया प्रति हैक्टेयर ।

विवरण विक्रीत आराजी:- एक किता आराजी वाके मौजा मगटई तहसील व जिला आगरा की खाता संख्या 220 खसरा संख्या 438 रकबा 0.2510 लगान 6.15 पैसा ताताना जाकिर कास्त जिस पर वक्त मौजूदा में खेती होती है और कृषि भूमि है आराजी मजकूर के 200 मीटर तक कोई आबादि और कृषि भूमि है।

मानसिंह

[illegible]

दैनामा 301200 / 302000

मुख्य रोकड़िया

5000 20 5020

मानसिंह

उपाध्याय

8/9/03

4 5

8/9/03

301200/रु. पूर्ण

[illegible]

मान [illegible]

121

हम कि मान सिंह पुत्र श्री परसिया निवासी ग्राम …पुरा तहसील व जिला आगरा ---------------- फरीक अव्वल विक्रेता।

व

ध्रुव वशिष्ठ पुत्र स्व0 श्री चन्दन सिंह शर्मा निवासी 57 कान्हा कालोनी बेरव रोड आगरा ------------ फरीक दोयम क्रेता।

विदित हो कि उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.2510 है0 का फरीक अव्वल व दोनो सहखातेदारान नाम सरकारी के मुताबिक खतौनी भूमिधर मालिक काबिज व दाखिल चला आता है जिसमें फरीक अव्वल के दीगर हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी किस्म का आराजी मजकूर में नहीं है न ही माने किसी प्रकार के इन्तकाल वगैरा का होवे आराजी मजकूर आज तक हर प्रकार के बार व भार व जिम्मा से साफ पाक व साफ है कहीं पर रहन व बै व हिबा व बै आगम व बै कुर्की व मजबूर व हुक्म नीलाम आदि आदि नहीं है और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से सट्टाखत व इकरारनामा बयाना आदि किया है वरन हर प्रकार से पाक व साफ है आराजी मजकूर नजूल एवं किसी भी राजकीय संस्थान की सम्पत्ति नहीं है और ना ही अधिग्रहण किया गया है ना ही अधिग्रहण होने

मान सिंह

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.   भारत   Rs. 5000

पाँच हजार रूपये   FIVE THOUSAND RUPEES

131

का कोई मुआवजा प्राप्त किया है। अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर हो तो फरोख्तकुनन्दा कुल्ला नायज कानूनी का जिम्मेदार होगा। आराजी मजकूर को माहौ अन्दर फरोख्त अव्वल व मिलने कीमत माकूल के बेचना स्वीकार है खरीदार फरीक दोयम कीमत माकूल दे रहा है जिसमें फरीक अव्वल का सरासर फायदा है। अतः खूब सोच व समझ कर पूर्ण स्वेच्छातथा होशहवास के साथ ना आवे किये किसी नाजायज दबाव के बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दबाव नाजायज के आराजी भूमिया मजकूर को मय कुल्ला हक व हकूक व ... व ... के मुबलिग 3,01,200/- तीन लाख एक हजार दो सौ रूपया कि आधी जिसके मुबलिग 1,50,600/- एक लाख पचास हजार छः सौ रूपया ~~जिसका आधा जिसके मुबलिग~~ होते हैं मैं पदम सिंह पुत्र ... चन्द्र सिंह शर्मा ... फरीक दोयम के बैय ... कर दी। कीमत का कुल रूपया मुबलिग 3,01,200/- तीन लाख एक हजार दो सौ रूपया बजरिये चैक नम्बर 458876 दिनांक 08 सितम्बर सन 2005 ई0 ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स ... शाखा आगरा बवक्त रजिस्ट्री बैनामा हाजा फरीक अव्वल फरीक दोयम से समक्ष श्रीमान सब रजिस्ट्रार सामिक आगरा प्राप्त करना। ... व कब्जा आराजी हथियार

मानसिंह

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

/W/

मजकूर पर फरीक दोयम खरीददार का कब्जा दिला व मालिक मुताबिक बना दिया अब फ्रीक फरीक दोयम को अख्तियार है कि आराजी मुन्दर्जा मजकूर में चाहे को [illegible] होवे व फायदा उठावे स्वयं काश्त करे या [illegible] रहन व बै व हिबा आदि जो चाहे सो करे कुछ उज्र न होगा। बाद तकमील बैनामा हाजा फ्रीक फरीक दोयम अपने नाम का दाखिल खारिज सम्बन्धित [illegible] में करावे बैनामा हाजा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रजामन्दी से दैना व रजामन्दी [illegible] पाबन्द होगा। बाद तकमील बैनामा हाजा फरीक [illegible] कोई [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आराजी [illegible] [illegible] [illegible] खरीददार फरीक दोयम के [illegible] [illegible] आराजी [illegible] [illegible] [illegible] फरीक दोयम के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

मानसिंह

/5/

भरना पड़े तो उस कुल की क्षति देही व जिम्मेदारी व उत्तराधिकारी का तमाम के विक्रेता फरीक अव्वल व वारिसान उनके की होगी। ऐसा तमाम सूरतों में फरीक दोयम को यह हक हासिल होगा कि वह अपनी लागत या कुल रुपया मय सूद खर्चा व हर्जा के फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल की जात व जात व जायदाद मन व उसकी हर किस्म की हो चाहे जैसे वसूल कर लें कुछ उज्र न होगा। और व विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नहीं है क्योंकि के बैनामा दोनों में दो-दो फोटो चस्पा है। नोट :- पर्ची तीन की तरह नों में आबकारी रुपया व दोनों के बीच की ... है करी है जो स्वीकार है।

लिहाजा बाद सुनने व समझने इकरार कबूल के यह बैनामा लिख दिया कि-

मानसिंह

पचास रुपये

भारत INDIA

५०रु 50RS

FIFTY RUPEES

/s/

स्वस्थ है और [illegible] आज तारीख [illegible] 08 दिसम्बर सन 2003को

[illegible] कृष्ण किशोर शर्मा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] इकरारनामा [illegible] ।

के हस्ताक्षर किया गया।

गवाह: अशोक कुमार पुत्र हरीसिंह
नि. 307 सैक्टर 9 [illegible]

गवाह: [illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह
नि. [illegible]

विकास बंसल
स्टाम्प वेन्डर
लाइसेंस नं० 50
तहसील सदर, आगरा

आज दिनांक 8/9/2003 बही सं० I
जिल्द संख्या 3861 के पृष्ठ 123/126
पर क्रमांक 4987 रजिस्ट्रीकृत की गई

उप निबन्धक सदर, आगरा

आराजी खसरा संख्या २२० ख. नं. 436
वाके मौजा मगटई तह. व जिला आगरा
विक्रेता:- मान सिंह पुत्र सोबरन
क्रेता:- श्री गोविन्द पुत्र मदन सिंह व्यक्ति ... से ... को दिखाया है।

रकबा - 0.2510 हैक्टेयर

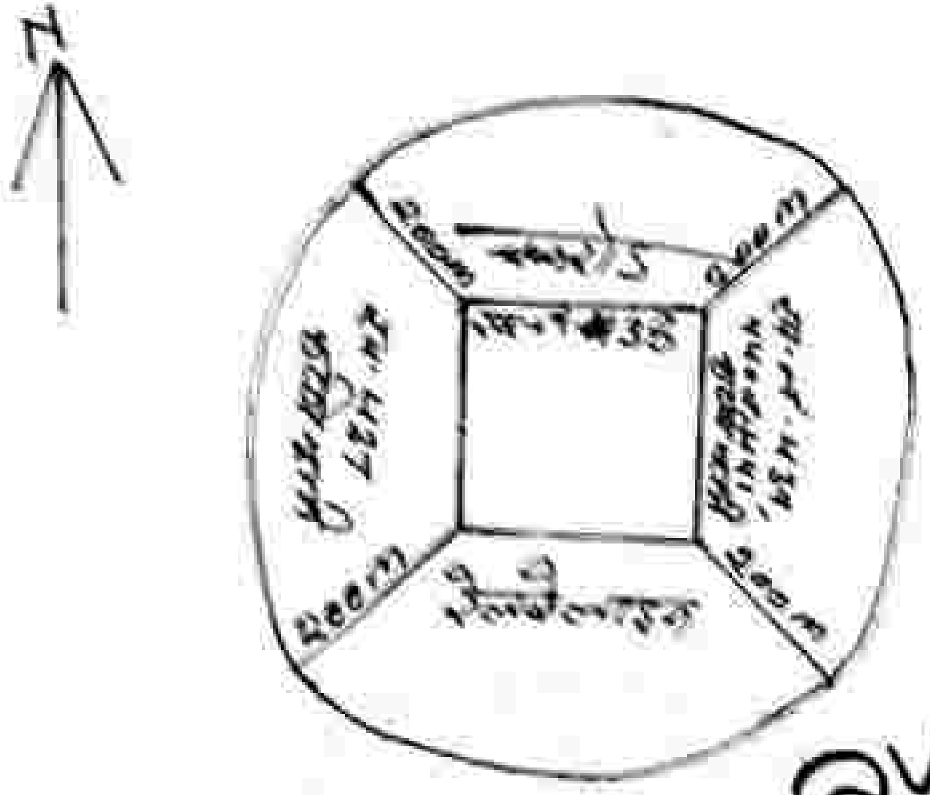

मानसिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 6486

ओउम्

किस्म दस्तावेज	:-	बैनामा।
बैनामा तादादी	:-	3,01,200/- रुपया।
सरकारी कीमत	:-	3,02,000/- रुपया।
स्टाम्प शुल्क	:-	0,30,200/- रुपया।
सर्किल रेट	:-	12,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर।
विवरण जायदाद विक्रीत	:-	एक किता आराजी वाके मौजा नगाई तहसील व जिला आगरा की खाता संख्या 61 खसरा संख्या 436 रकबा 0.2510 हे. लगान 9.15 पैसा सालाना वाकिय वाका मिल पर पक्का मौजूदा में खेती होती है और कृषि भूमि है आराजी नम्बर से 200 मीटर तक खेती होती है और कृषि भूमि है।

बैनामा 3.01 2000

3002.500

5000 20 5020

8/9/03

8/9/03

8/9/03

[2]

यह कि [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्राम [illegible] तहसील व जिला [illegible]

[illegible] ------------------ [illegible]

[illegible]

[illegible] पुत्र स्व० श्री [illegible] सिंह [illegible] निवासी 57 [illegible]

[illegible] ---------------------- [illegible]

[illegible] 456 रकबा 0.2510 है० [illegible]

[illegible]

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

/3/

[illegible] होगा। [illegible]
[illegible] है
[illegible] है अतः
[illegible]
[illegible] के
[illegible] के [illegible]
[illegible] 3,01,200/- तीन लाख [illegible]
1,50,600/- [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 3,01,200/-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] है [illegible]
[illegible] व [illegible]

[illegible] [signature]

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

/5/

व रिहन आदि की भांति भी कोई कुछ उज्र न होगा। [illegible] बैनामा हाजा क्रेता

[illegible] अपने नाम पर दाखिल खारिज [illegible] में कराये बैनामा

हाजा [illegible] मालिक [illegible] है मुकिर [illegible] अपनी रजामन्दी से [illegible]

रजामन्दी [illegible] पाबन्द रहेंगे। [illegible] बैनामा हाजा [illegible] का कोई

[illegible] या [illegible] दीगर [illegible] का जिम्मेदार [illegible]

[illegible] अपना [illegible] कागजात [illegible]

[illegible] दावा [illegible]

[illegible]

[illegible] जो कुछ [illegible] तो [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1,50,000/- [illegible]

लिहाजा बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 08 सितम्बर सन 2003 ई0 बमसौदा श्री किशोर शर्मा वसीका नवीस अयोध्या कुन्ज ए.आगरा टायप बाई निरंजन सहाय कपूर बाग केसर नाई मण्डी, आगरा बइकरार मुकिर के टंकण किया गया।

नि० अ० गजा बाल

गवाह - कीर्ति सिंह पुत्र श्री फूल सिंह.
निवासी - सुनारी विचपुरी (आगरा)

गवाह - अशोक कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी -

6078
6-9-03

1m) ———————— 6077

बिला॰ उद्दीन

[illegible]

सदर तहसील, आगरा

आज दिनांक 8/9/2003 बही नं॰ I

जिल्द संख्या 3861 के पृष्ठ 133 से 148

पर क्रम संख्या 4988 [illegible] की गई

उप निबन्धक द्वितीय आगरा

आराजी खाता संख्या 61 ख.नं. 436
वाके मौजा भगर्तू तह. व जिला अल्मोड़ा
विक्रेता :- गंगाधर सिंह पुत्र पाँचिया
क्रेता :- ध्रुव वशिष्ठ पुत्र स्व. चन्दन सिंह शर्मा
नक्शे में रंगा लाल से दिखाया है।
रकबा — 0.2510 हैक्टेयर

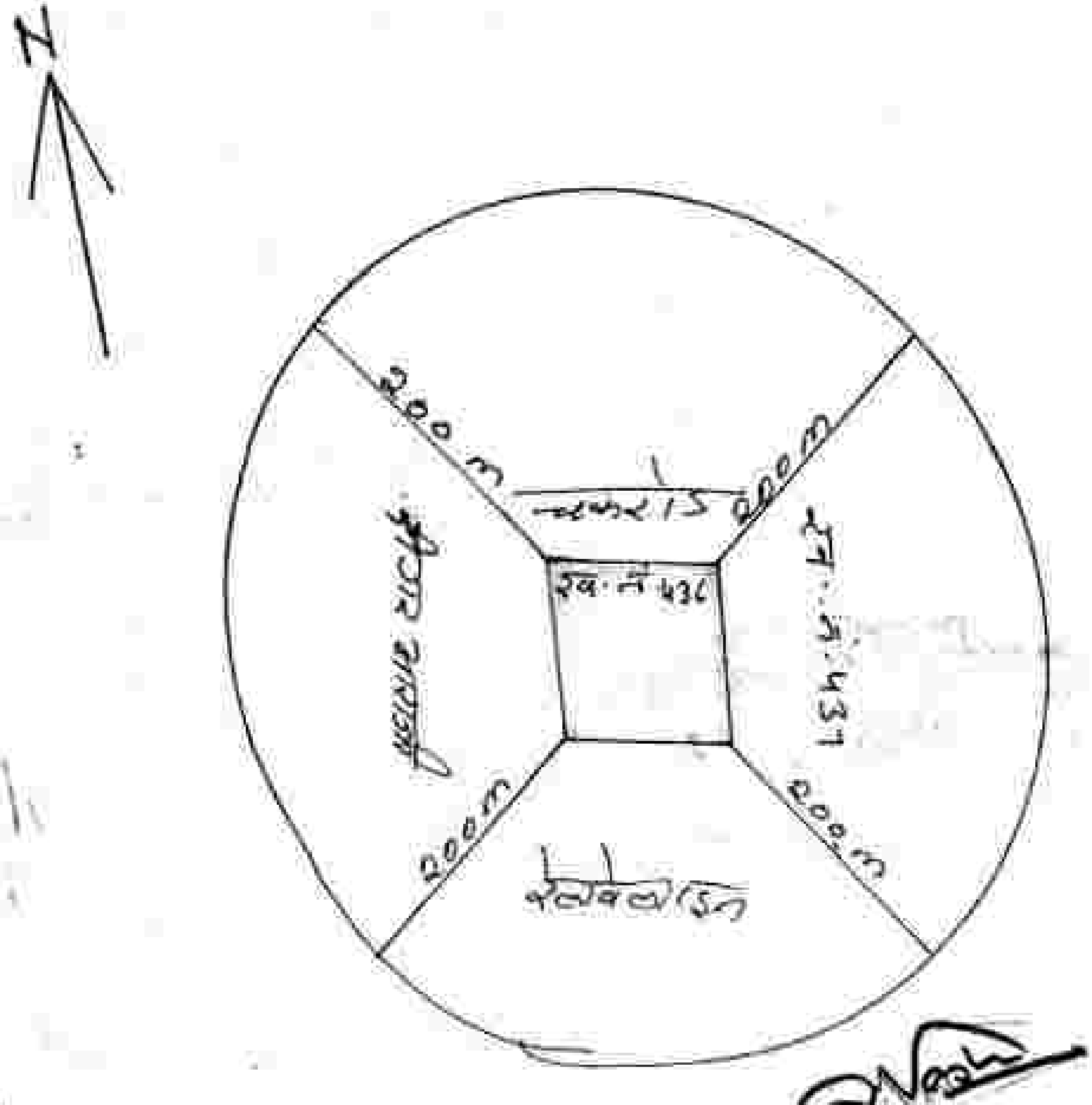

4989

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

20000

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 648626

जोविद

किस्म दस्तावेज :- बैनामा।

बैनामा धनराशि :- 3,01,200/- रुपया।

बाजारी कीमत :- 3,02,000/- रुपया।

स्टाम्प शुल्क :- 0,30,200/- रुपया।

मालियत रेट :- 12,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर।

विवरण स्थिति आराजी:- एक किता आराजी की मौजा [illegible] तहसील व जिला आगरा की खाता संख्या 140 खसरा संख्या 457 रकबा 0.2510 हे. लगान 6.15 पैसा [illegible] [illegible] जिस पर [illegible] मौजूदा में [illegible] होती है और कृषि भूमि है आराजी सड़क से 200 मीटर [illegible] होती है और कृषि भूमि है।

(डॉ. टी. [illegible])
मुख्य [illegible]
[illegible], आगरा

30/2008

67
60

8/9/03

3 4

8/9/03

30/2008

8/9/03

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

121

[illegible]

[illegible] ------------- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ------------------ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

/3/

जो वाके [illegible] चुंगी व [illegible] मदकूर के [illegible] स्वीकार है क्रेता दोयम [illegible] मदकूर है [illegible] है जिसमें क्रेता अव्वल का [illegible] है। [illegible] पूर्ण [illegible] तथा [illegible] के साथ [illegible] [illegible] के बिना [illegible] व [illegible] व बिना किसी दबाव [illegible] से जायदाद [illegible] मदकूर को मय [illegible] व [illegible] व [illegible] व [illegible] के मुबलिग 3,01,200/- तीन लाख एक हजार दो सौ रूपया [illegible] मुबलिग 1,50,600/- एक लाख पचास हजार छः सौ रूपया होते हैं [illegible] [illegible] [illegible] वर्णित क्रेता अव्वल क्रेता दोयम के [illegible] किया और [illegible] [illegible] का कुल रूपया मुबलिग 3,01,200/- तीन लाख एक हजार दो सौ रूपया [illegible] संख्या 458875 दिनांक 08 सितम्बर सन 2003 ई० [illegible] [illegible] आगरा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आगरा से प्राप्त क्रेता अव्वल क्रेता दोयम से [illegible] [illegible] [illegible] जायदाद मदकूर पर क्रेता [illegible] क्रेता दोयम [illegible] [illegible] व [illegible] बना दिया अब क्रेता [illegible] क्रेता दोयम को अधिकार है कि वह जायदाद मदकूर के [illegible] [illegible]

/4/

होवे व फायदा उठावे स्वयं काश्त करे चाहे काश्त करावे रहन व बैय व हिबा आदि जो चाहे तो करे कुछ उज्र न होगा। बाद तकमील बैनामा हाजा क्रेता फरीक दोयम अपने नाम का दाखिल खारिज सम्बन्धित कार्यालय में कराएंगे बैनामा हाजा बहैसियत मालिक दर्ज करा ले फरीक अव्वल अपनी रजामन्दी दे देगा व रजामन्दी देने का पाबन्द रहेगा। बाद तकमील बैनामा हाजा फरीक अव्वल का कोई वारिस या खानदानी वारिसान या दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का शिरकतदार वगैरा पैदा हो कर आराजी मुबैया मजकूर में अपना हक्क हिस्सा जाहिर व साबित करे या खरीददार फरीक दोयम से झगड़ा या दावा करे किसी वजह से या दीगर वजह से आराजी मुबैया मजकूर का कुल या कुछ हिस्सा क्रेता फरीक दोयम के अधिकार व कब्जा से निकल जावे या किसी को कुछ रूपया अदा या खर्च करना पड़े तो उस कुल की जवाब देही व जिम्मेदारी मय अदायगी मय लगान के फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल से होगी। ऐसी तमाम सूरतों में खरीददार फरीक दोयम को यह हक -

/5/

लाजिमी होगा कि वह अपनी लागत का कुल व्ययमय सूद हर्जा व खर्चा के फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल की जात खास व जायदाद मन व अमल हर किस्म की से चाहे जैसे वसूल कर लें कुछ उज्र न होगा। क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नहीं है क्रेता व विक्रेता के बैनामा उपर में दो-दो फोटो चस्पा है।

मसौदा बृज किशोर शर्मा वकील नवीन अयोध्याकुन्ज ए.आगरा टाइप बाई निरंजन सहाय कपूर बाग केलर नाईमण्डी, आगरा पढ़कर फरीकैन के टन्कण किया गया।

गवाह – कीर्ति सिंह S/o श्री फूल सिंह
निवासी – सुनारी बिचपुरी (आगरा)

गवाह – अशोक कुमार S/o श्री हरि सिंह निवासी – 307 सेक्टर-9 सिकन्दरा (आगरा)

5822
8.9.3 5 5823

सुभाष चन्द्र अग्रवाल
स्टाम्प वेन्डर
सदर तहसील, आगरा
लाइ० नं०-26

8/9/2023 I
3861 1491/162
4989

कराजी खाता संख्या 148 ख.नं. 437
वाके मौजा मगटई तह व जिला आगरा
विकेता :- प्रीतम सिंह पुत्र पांचिया
केता :- ध्रुव बोशाष्ठ पुत्र स्व. चन्दन सिंह शर्मा
नक्शा में रंग लाल से दिखाया
रकबा - 0.2510 हैक्टेयर